न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –1/2017 जिला सीकर

प्रभूदयाल गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री रामेश्वरलाल गुप्ता, जाति महाजन, आयु 72 वर्ष निवासी ममता सदन, बालाजी मंदिर के पास, देवीपुरा, सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. शम्भू प्रसाद पुत्र श्री देवीदत्त, जाति ब्राह्मण, निवासी खाटुश्याम जी, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।
2. रीता देवी पत्नि श्री अमित कुमार, जाति महाजन, निवासी इण्डस्ट्रीयल एरिया, सीकर (राज.)

रेस्पोंडेन्ट आवश्यकीय

3. उप पंजियक, दंतारामगढ, जिला सीकर
4. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर
5. सरपंच ग्रम पंचायत खाटूश्यामजी, जिला सीकर
6. पटवारी, पटवार हल्का खाटूश्यामजी , तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट अनावश्यकीय

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर
दिनांक 27.7.2015

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से कोई उपस्थित नहीं

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक–15.10.2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 27.7.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम खाटू , तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1170, 1171, 1172, 1198 कुल किता 4 कुल रकबा 1.90 हैक्टेयर के 1/3 हिस्से की खातेदार रीता देवी धर्मत्नि अमित कुमार, जाति महाजन थी जिसके द्वारा भूमि का विक्रय जरिये रजिस्र्ड विक्रय पत्र दिनांक 3.1.2008 द्वारा प्रभूदाल गुप्ता पुत्र रामेश्वर लाल गुप्ता , जाति महाजन को किये जाने पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामांतरकरण संख्या 1947 केता प्रभू दयाल गुप्ता के नाम भरा गया जिसे सरपंच, ग्रम पंचायत खाटूश्यामजी द्वारा दिनांक 6.10.2010 द्वारा स्वीकार कर दिया ।

उक्त नामांतरकरण संख्या 1947 दिनांक 6.10.2010 से व्यथित होकर रेस्पोंडेन्ट शम्भू प्रसाद द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर को प्रस्तुत की, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.7.2015 द्वारा विवादग्रस्त भूमियों के संबंध में पूर्व में तस्दीक विक्रय पत्रों को निरस्त करवाने की

कार्यवाही ए.डी.जे. न्यायालय क्रम संख्या 1 सीकर में विचाराधीन होने एवं स्थगन के बावजूद विवादित आराजी का बेचान किये जाने से विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक नामांतरकरण निरस्त किये जाने योग्य मानते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 1947 दिनांक 6.10.2010 निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ को रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया कि न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 1 सीकर में विचाराधीन प्रकरण दावा संख्या 8/10 व टीआई संख्या 7/10 बउनवानी शंभूप्रसाद बनाम रीता देवी आदि में विधिवत निर्णय के पश्चात् नामांतरकरण पुनः तस्दीक किये जाने की कार्यवाही की जावे ।

उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के उक्त निर्णय दिनांक 27.7.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर नामांतरकरण संख्या 1947 बहाल रखे जाने की आज्ञा प्रदान करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से कोई हाजिर नहीं आये । वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

प्रति
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट शम्भू प्रसाद द्वारा सिविल कोर्ट में 15 जनवरी 2010 में किया था जिसमें विवादित भूमि में 1/10 हिस्से तक अपने पिता द्वारा रीता देवी व महेश कुमार को दिनांक 4.8.2007 (पंजीकृत 17.8. 2007) को किये गये बेचान पत्रों को अवैध घोषित कराने के लिये सहायता चाही है जबकि रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 रीता देवी ने उक्त दावे की प्रस्तुती के 2 साल पूर्व ही दिनांक 3.1.2008 को ही अपीलान्ट प्रभूदयाल को भूमि का बेचान कर दिया था तथा वाद में सिविल न्यायालय ने दिनांक 11.2.2010 को फर्दर बेचान के लिये रोक लगाई थी । उनका कहना था कि रीता देवी द्वारा दिनांक 3.1.2008 को प्रभूदयाल को भूमि बेचान की थी एवं बेचान पत्र के आधार पर नामांतरकरण दिनांक 6.10. 2010 को स्वीकृत हुआ था तथा सिविल न्यायालय का स्थगन आदेश दिनांक 11.2. 2010 को जारी किया था इससे स्पष्ट है कि बेचान एवं नामांतरकरण स्थगन आदेश से पूर्व के थे इसलिये उन पर स्थगन प्रभावी नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन के बावजूद बेचान किया जाना व नामांतरकरण भरा जाना, मानकर गलती की है । उनका यह भी कहना था कि रीता देवी द्वारा प्रभूदयाल के पक्ष में किये गये बेचान पत्र को आज तक शम्भू प्रसाद ने चुनौती नहीं दी है । उनका कहना था कि वादग्रस्त सम्पदा वादी ने पैतृक बताकर दावा किया है जबकि ऐसा रेवेन्यु रिकार्ड नहीं है और न ही कोई प्रमाण प्रस्तुत किया है । उनका कहना था कि सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि बाबत अपने हिस्से की उद्घोषणा व बंटवारे के लिये शंभू प्रसाद ने उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के न्यायालय में दावा बाबत उद्घोषणा पेश किया था जो दिनांक 4.8.2007 को

पक्षकारों में राजीनामा होना बताकर विड्रा कर लिया तथा इसके बाद दिनांक 13.907 को दूसर दावा उप खण्ड अधिकारी को किया जिसमें उसने कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1170 से 1172 व 1198 व 1042 उसके पिता देवीदत्त के हिस्से में आयी है तथा खसरा नम्बर 1037 व 1038 उसके स्वयं के हिस्से में आयी है इसलिये खसरा नम्बर 1037 व 1038 का उसे खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । उक्त राजस्व वाद लम्बित है जिसमें शंभू प्रसाद ने खसरा नम्बर 1170 से 1172 व 1198 में अपना कोई हक हिस्सा नहीं माना है । इसके बावजूद बेचान के आधार पर हुये नामांतरकरण को चुनौती देना बदनियति का प्रतीक है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के महत्वपूर्ण एवं विधिक तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.7.2015 द्वारा शंभू प्रसाद की अपील स्वीकार कर नामांतरकरण निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ को रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया कि न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम संख्या 1 सीकर में विचाराधीन प्रकरण दावा संख्या 8/10 व टीआई संख्या 7/10 बउनवानी शंभूप्रसाद बनाम रीता देवी आदि में विधिवत निर्णय के पश्चात् नामांतरकरण पुनः तस्दीक किये जाने की कार्यवाही की जावे । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय विधिसम्यक नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण यथावत रखा जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवाद विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में तस्दीक विक्रय पत्रो के रहते एवं उक्त वाद में स्थगन के बावजूद न्यायालय रेस्पोंडेन्ट रीता देवी द्वारा विवादित भूमि का बेचान अपीलान्ट प्रभूदयाल के नाम किये जाने एवं विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण संख्या 1947 दिनांक 6.10.2010 केता प्रभू दयाल के नाम ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक होने के संबंध में है । हम समझते हैं कि विवादित भूमियों के संबंध मे पूर्व में हुये विक्रय पत्रों को निरस्त कराने का वाद न्यायालय ए.डी.जे. कम संख्या 1 सीकर में विचाराधीन रहते एवं वाद में स्थगन के रहते विवादित भूमियों के किये गये विक्रय विलेख के आधार पर तस्दीक नामांतरकरण को विधिक नहीं कहा जा सकता । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि पक्षकारों के मध्य वाद विचाराधीन है तो नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही वाद के अंतिम निर्णय तक स्थगित रखी जानी चाहिये ताकि पक्षकारो मे अनावश्यक मुकदमेबाजी नहीं बढे । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.7.2015 द्वारा विवादग्रस्त भूमियों के संबंध में पूर्व में तस्दीक विक्रय पत्रों को निरस्त करवाने की कार्यवाही ए.डी.जे. न्यायालय कम संख्या 1 सीकर में विचाराधीन होने एवं स्थगन के बावजूद विवादित आराजी का बेचान किये जाने से विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक नामांतरकरण निरस्त किये जाने योग्य मानते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 1947 दिनांक 6.10.2010 निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ को रिमाण्ड कर निर्देशित किया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

गया कि न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 1 सीकर में विचाराधीन प्रकरण दावा संख्या 8/10 व टीआई संख्या 7/10 बउनवानी शंभूप्रसाद बनाम रीता देवी आदि में विधिवत निर्णय के पश्चात् नामांतरकरण पुनः तस्दीक किये जाने की कार्यवाही की जावे । हम समझते हैं कि अपीलाधीन निर्णय उचित एवं विधिक है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर